

संचालनालय
कृषि अभियांत्रिकी
मध्य प्रदेश, भोपाल, के
विभागीय परिपत्रों का
संकलन

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

क्रमांक / बी-3-30 / 2000 / 14-2

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2001

आदेश क्रमांक -1 / कृषि अभियांत्रिकी

प्रति

1. कलेक्टर , (समस्त)
म.प्र.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जिला पंचायत मध्यप्रदेश
3. आंचलिक प्रबंधक,
कृषि जलवायु क्षेत्र
(समस्त) मध्यप्रदेश
4. उपसंचालक कृषि, (समस्त)
मध्यप्रदेश
5. कृषि यंत्री, (समस्त)
मध्यप्रदेश
6. सहायक कृषि यंत्री,
(समस्त) मध्यप्रदेश
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत विकासखंड
मध्यप्रदेश
8. अनुविभागीय कृषि अधिकारी, (समस्त)
मध्यप्रदेश
9. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,
(समस्त) मध्यप्रदेश

विषय:- केन्द्र प्रवर्तित "कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने की योजना-मैक्रो मेनेजमेन्ट" के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी निर्देश वर्ष 2001-2002.

कृषि विभाग के द्वारा क्रियान्वित केन्द्र प्रवर्तित "कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने की योजना-मैक्रो मेनेजमेन्ट" के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया मार्गदर्शी आदेश क्रमांक / बी-3-30 / 2000 / 14-2 दिनांक 11 दिसंबर 2000 एतद द्वारा अधिक्रमित किया जाता है।

2. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम की भूमिका, कृषि संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
3. कार्यक्रम का विवरण:—
 - 3.1 यह केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषकों को यंत्रीकरण हेतु प्रोत्साहित कर यांत्रिकी खेती को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने और श्रम, समय तथा धन की बचत करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को विभिन्न प्रकार के उन्नत कृषि यंत्रों, छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर तथा शक्ति चलित कृषि उपकरणों के क्रय पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
4. कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र:—

कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 45 जिलों में लागू है।
5. कार्यक्रम के घटक:—

कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार तीन घटक हैं, जिनके क्रियान्वयन में जिला पंचायत की भूमिका रहेगी:

 1. हस्तचलित, बैलचलित उन्नत कृषि यंत्र
 2. शक्तिचलित उन्नत कृषि यंत्र
 3. पावर टिलर एवं 30 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रैक्टर
6. वित्तीय व्यवस्था:—
 - 6.1 संचालक कृषि अभियांत्रिकी जिले के उपसंचालक कृषि को कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप भौतिक लक्ष्य जारी करेंगे। हस्तचलित, बैलचलित तथा शक्तिचलित कृषि यंत्रों के लिए अनुदान राशि उप संचालक कृषि को आबंटित की जायेगी तथा शेष घटकों की अनुदान राशि मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को प्रदाय की जावेगी।
7. लक्ष्यों का निर्धारण :—
 - 7.1 संचालक कृषि अभियांत्रिकी कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार जिलों की विगत वर्षों की प्रगति एवं जिलों की मांग को ध्यान में रखकर जिलों का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे।

7.2 जिला पंचायत:—

उप संचालक कृषि लघु, सीमांत, अ.जा., अ.ज.जा. एवं सामान्य कृषकों की जिले की संख्या एवं पूर्व वर्षों की प्रगति के आधार पर लक्ष्यों का विभाजन विकासखण्डवार करेंगे तथा इसका अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से करायेंगे।

7.2.1 लक्ष्यों के विभाजन एवं अनुमोदन उपरांत इसकी सूचना उप संचालक कृषि द्वारा अनुविभागीय कृषि अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को दी जायेगी।

7.2.2 पावर टिलर, शक्तिचलित उन्नत कृषि यंत्र एवं 30 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रैक्टरों के लक्ष्यों का विभाजन विकास खण्ड स्तर तक ही रहेगा। इन घटकों के क्रियान्वयन में "प्रथम आये प्रथम पाये" के सिद्धांत का पालन किया जावे।

7.2.3 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हस्तचलित/बैलचलित उन्नत कृषि यंत्रों के लक्ष्य का विभाजन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीवार करेंगे तथा इसकी सूचना वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा उप संचालक कृषि, अनुविभागीय अधिकारी कृषि एवं संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को दी जावेगी।

7.3 ग्रामसभा:—

7.3.1 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों के लिये प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन अपने कार्यक्षेत्र में ग्रामसभावार करेंगे।

7.3.2 लक्ष्यों के विभाजन में उन ग्रामों को प्राथमिकता दी जावे, जहां इस कार्यक्रम से कृषक पूर्व वर्षों में लाभान्वित ना हुए हों।

7.3.3 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा हितग्राहियों का चयन लक्ष्य से दो गुनी संख्या में किया जावे तथा हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन ग्रामसभा की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त किया जावेगा।

7.3.4 ग्रामसभा से प्राप्त अनुमोदित सूची ग्रा.कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

7.3.5 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित सूचियाँ उप संचालक कृषि को सूचनार्थ भेजी जावेगी।

7.3.6 इस अनुमोदित सूची से कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा। य सूची तब तक मान्य एवं अगले वित्तीय वर्ष में प्रभावी रहेगी जब तक उसमें सम्मिलित सभी नामों पर स्वीकृति न हो जाय अथवा अगले वर्ष की सूची इसी प्रक्रिया से तैयार न हो जाय, जो भी पहले हो।

7.4 हितग्राही का चयन केवल एक स्तर की पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा। इस व्यवस्था में फेरबदल का अधिकार किसी को नहीं होगा।

8. हितग्राही चयन, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन:-

8.1 हस्तचलित/बैलचलित उन्नत कृषि यंत्र

8.1.1 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन

- सभी श्रेणी के कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र प्राप्त करने की प्रात्रता होगी। लघु, सीमांत, अ.जा.,अ.ज.जा. एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विगत वर्ष से डेढ़ गुना संख्या में हितग्राहियों की सूची तैयार करेंगे।
- पूर्व वर्षों में लाभान्वित कृषकों के नाम सूची में शामिल नहीं किये जावे।
- हितग्राही सूची में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लघु तथा सीमांत कृषकों के नाम सबसे ऊपर रहेंगे तथा यह सूची ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सूची उप संचालक कृषि को अनुदान स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे।

8.1.2 क्रियान्वयन :-

- उप संचालक कृषि जिले में उन्नत कृषि यंत्रों के प्रदाय की व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के माध्यम से करायेंगे।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की मांग अनुसार विकासखंड मुख्यालय/सहकारी समितियों में उन्नत कृषि यंत्रों का भण्डारण उपरोक्त संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुमोदित हितग्राहियों से कृषक अंश राशि प्राप्त कर संबंधित प्रदायक संस्थाओं अथवा सहकारी समितियों में जमा करायेगें।
- संबंधित संस्था कृषक अंश प्राप्त होने के 15 दिन में अनिवार्य रूप से कृषकों को वांछित यंत्र उपलब्ध करायेगी।
- सहकारी समितियाँ ऋण पर भी पर भी सदस्य कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करायेगी।
- सहकारी समितियों का यह दायित्व होगा कि वह कृषक के ऋण खाते से कृषक अंश की राशि स्वीकृत कर प्रदायक संस्था को तुरंत प्रदान करें तथा सूचना अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को दें।
- प्रदायक संस्थाएँ कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के बाद कृषकवार अनुदान राशि की मांग निर्धारित प्रपत्र में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरांत उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगी।
- उप संचालक कृषि अनुदान राशि स्वीकृत कर भुगतान संबंधित संस्था को करेंगे।
- उप संचालक कृषि अनुदान राशि स्वीकृत कर भुगतान संबंधित संस्था को करेंगे।
- तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यक्रम के उन्नत कृषि यंत्रों का घटक इस योजना में सम्मिलित नहीं है।
- उन्ही उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जावेगा, जिनकी सूची संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा जारी की जावेगी।
- भिन्न-भिन्न क्रियाकलापों के लिए कृषक को एक से अधिक यंत्रों पर भी अनुदान दिया जा सकेगा।
- निर्धारित वित्तीय लक्ष्य से अधिक यंत्रों का वितरण संचालक कृषि अभियांत्रिकी की पूर्व अनुमती के बिना नहीं किया जावेगा अन्यथा वितरित अनुदान राशि उप संचालक कृषि से वसूल की जावेगी।
- अनुदान की दरों का विवरण परिशिष्ट "एक" में दर्शित है।

8.2 शक्तिचलित उन्नत कृषि यंत्र:-

8.2.1 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन :-

- सभी श्रेणी के कृषको को उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पर प्राप्त करने की पात्रता होगी, बशर्ते उसने पूर्व वर्ष में किसी भी अन्य योजना में उस पर लाभ न लिया हो।
- लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रत्येक माह प्राप्त प्रकरणों की सूची मय प्रकरण के उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे।
- उप संचालक कृषि, प्राप्त प्रकरणों का जिला स्तर पर परीक्षण कर जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन उपरांत अनुदान की पात्रता अनुसार प्रकरण स्वीकृत करेंगे।
- बैंक ऋण पर उन्नत कृषि यंत्र क्रय करने वाले कृषकों के प्रकरण अनुदान आदेश के साथ आवेदन में उल्लेखित बैंक को उप संचालक कृषि द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।
- प्रकरण प्राप्त होने पर बैंक द्वारा अनुदान अंश को छोड़कर शेष ऋण राशि स्वीकृत कर म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जिला शाखा को उन्नत कृषि यंत्र के प्रदाय का आदेश दिया जावेगा।
- नगद पर उन्नत कृषि यंत्र क्रय करने वाले कृषकों के प्रकरण कृषक हिस्से की राशि सहित म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जिला शाखा को प्रेषित किये जायेंगे।
- योजना के अन्तर्गत विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के अतिरिक्त म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा भी प्रकरण तैयार किये जा सकेंगे। यह सभी प्रकरण जिले के उप संचालक कृषि को जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायेंगे।
- मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की यह जबाबदारी होगी कि वह अनुदान अंश को छोड़कर शेष राशि बैंक/कृषक से प्राप्त होते ही हितग्राही

- कृषक को 15 दिवस के अन्दर उन्नत कृषि यंत्र प्रदाय करें एवं कृषकवार अनुदान राशि के समायोजन की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सत्यापन करने के उपरांत उप संचालक कृषि को प्रेषित करें।
- उन्ही उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जावेगा, जिनकी सूची संचालक कृषि अभियंत्रिकी द्वारा जारी की जावेगी।
 - भिन्न-भिन्न क्रियाकलापों के लिए कृषकों को एक से अधिक कृषि यंत्रों पर भी अनुदान दिया जा सकेगा।
 - ट्रैक्टरचलित कृषि यंत्र के लिए अनुदान की पात्रता उसी कृषक को होगी, जिसके पास ट्रैक्टर हो।
 - निर्धारित वित्तीय लक्ष्य से अधिक यंत्रों का वितरण संचालक कृषि अभियांत्रिकी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा अन्यथा वितरित यंत्र की अनुदान राशि उप संचालक कृषि से वसूल की जावेगी।
 - अनुदान की दरों का विवरण परिशिष्ट "एक" में दर्शित है।

8.2.2 तकनीकी सावधानियाँ:-

- तकनीकी जानकारी मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा दी जावेगी।
- आवेदन पत्र पर कृषक का फोटो लगाया जाना अनिवार्य होगा जो गांव के सरपंच या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
- प्रदायक संस्था द्वारा कृषक को विक्रय पश्चात सेवा की गारंटी दी जावेगी।
- विक्रय उपरांत सेवा एवं स्पेयर पार्ट की पूर्ति की जिम्मेदारी कृषि उद्योग विकास निगम की होगी।

8.3 पावर टिलर:-

8.3.1 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन:-

- सभी श्रेणी के कृषकों को पावर टिलर के लिये अनुदान की पात्रता होगी बशर्ते उसने पूर्व वर्ष में पावर टिलर पर अनुदान का लाभ न लिया हो।

- लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रत्येक माह प्राप्त प्रकरणों की सूची मय प्रकरण के उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे।
- उप संचालक कृषि प्राप्त प्रकरणों का जिला स्तर पर परीक्षण कर जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन उपरांत अनुदान की पात्रता अनुसार प्रकरण स्वीकृत करेंगे।
- बैंक ऋण पर पावर टिलर क्रय करने वाले कृषकों के प्रकरण अनुदान आदेश के साथ आवेदन में उल्लेखित बैंक को उप संचालक कृषि द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।
- प्रकरण प्राप्त होने पर बैंक द्वारा अनुदान अंश को छोड़कर शेष ऋण राशि स्वीकृत कर म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जिला शाखा को पावर टिलर के प्रदाय का आदेश दिया जावेगा।
- नगद पर पावर टिलर क्रय करने वाले कृषकों के प्रकरण हिस्से की राशि सहित म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जिला शाखा को प्रेषित किये जायेंगे।
- योजना के अंतर्गत विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के अतिरिक्त म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा भी प्रकरण तैयार किये जा सकेंगे। यह सभी प्रकरण जिले के उप संचालक कृषि को जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायेंगे।
- मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की यह जवाबदारी होगी कि वह अनुदान अंश को छोड़कर शेष राशि बैंक/कृषक से प्राप्त होते ही हितग्राही कृषक को 15 दिवस के अन्दर पावर टिलर प्रदाय करें एवं कृषकवार अनुदान राशि के समायोजन की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सत्यापन करने के उपरांत उप संचालक कृषि को प्रेषित करे।
- अनुदान की दर का विवरण परिशिष्ट "एक" में दर्शित है।

8.3.2 तकनीकी सावधानियाँ

- भारत शासन द्वारा अनुमोदित "मेक" के ही पावर टिलर मय रोटावेटर वितरित किये जावेंगे, जिनकी सूची परिशिष्ट "दो" पर है।
- कृषक उक्त सूची में से ही अपनी पसंद के मेक के पावर टिलर की मांग करेंगे तथा म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का दायित्व होगा कि वह कृषक द्वारा चाहे गये "मेक" का ही पावर टिलर प्रदाय करें।
- तकनीकी जानकारी मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा दी जावेगी।
- आवेदन पत्र पर कृषक का फोटो लगाया जाना अनिवार्य होगा जो गांव के सरपंच या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
- प्रदायक संस्था द्वारा कृषक को विक्रय पश्चात सेवा की गारंटी दी जावेगी।
- विक्रय उपरांत सेवा एवं स्पेयर पार्ट्स की पूर्ति की जिम्मेदारी कृषि उद्योग विकास निगम की होगी।
- निर्धारित लक्ष्य से अधिक पावर टिलर का वितरण संचालक कृषि अभियंत्रिकी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जावेगा अन्यथा वितरित अनुदान राशि उप संचालक कृषि से वसूल की जावेगी।

8.4 30 पी.टी.ओ. हॉर्सपावर तक के ट्रेक्टर:—

8.4.1 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन:—

- अनुदान की पात्रता उन कृषकों को होगी जिनके स्वयं या उनके परिवार के पास पूर्व से कोई ट्रेक्टर नहीं हो।
- कृषक समूहों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
- पंजीकृत सहकारी समितियों, कृषि साख समितियों एवम् बहुउद्देशीय कृषि समितियों को भी अनुदान की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र समिति को तीन से अधिक ट्रेक्टर पर अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- बैंक ऋण से ही ट्रेक्टर क्रय करने पर अनुदान दिया जावेगा।
- योजना के अन्तर्गत विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के अतिरिक्त म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा श्री प्रकरण तैयार किये जा सकेंगे। यह

- सभी प्रकरण जिले के उप संचालक कृषि को जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायेंगे।
- मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से ट्रैक्टर क्रय करने पर ही अनुदान का लाभ दिया जावेगा।
 - शेष शर्तें कंडिका 8.3.1 के अनुसार
 - निर्धारित लक्ष्य से अधिक ट्रैक्टरों का वितरण कृषि अभियांत्रिकी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा अन्यथा वितरित अनुदान राशि उपसंचालक कृषि से वसूल की जावेगी।
 - अनुदान की दर का विवरण परिशिष्ट "एक" पर दर्शित है।

8.4.2 तकनीकी सावधानियाँ:—

- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मेक के ही ट्रैक्टर वितरित किये जावेंगे जिनकी सूची परिशिष्ट "तीन" पर है।
- कृषक उक्त सूची में से ही अपनी पसंद के मेक के ट्रैक्टर की मांग करेगें तथा म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का दायित्व होगा कि कृषक चाहे गये 'मेक' का ही ट्रैक्टर प्रदाय करें।
- शेष शर्तें कंडिका 8.3.2 के अनुसार

9. निरीक्षण एवं अनुश्रवण:—

उन्नत कृषि यंत्र के वितरण उपरांत कृषि यंत्रों की उपयोगिता के बारे में कृषकों को जानकारी देने हेतु वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/अनुविभागीय कृषि अधिकारी/सहायक कृषि यंत्री/यांत्रिक सहायक स्थल भ्रमण करेगें तथा अधिकाधिक कृषकों को उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग की समझाईश देगें।

ट्रैक्टर तथा पावर टिलर के प्रदाय उपरांत उसकी उपयोगिता के बारे में तथा परिचालन के बारे में जानकारी देने हेतु जिला प्रबंधक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/सहायक कृषि यंत्री/यांत्रिक सहायक स्थल भ्रमण करेगें तथा कृषकों को ट्रैक्टर/पावर टिलर के परिचालन सम्बन्धी समझाईश देगें। इसके

- उपयोग में ली जाने वाली सावधानियों से भी कृषक को अवगत करावेगें तथा तकनीकी कठिनाईयाँ आने पर उनका निराकरण करावेंगे।
10. भौतिक सत्यापन:—
- विभिन्न घटकों के प्रदाय/वितरण उपरांत भौतिक सत्यापन का उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा:—
- उप संचालक कृषि 5: — वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/50: यांत्रिकी सहायक
 - जिलास्तरीय विषयवस्तु विशेषज्ञ/25:— कृषि विकास अधिकारी/ग्रामीण सहायक कृषि यंत्री कृषि विस्तार अधिकारी 100 :
 - अनुविभागीय कृषि अधिकारी/ अनुविभाग स्तरीय विषय विशेषज्ञ 25 :
11. व्यय:—
- योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन का उपयोग करने हेतु उपलब्ध राशिकंडिका 6.1 के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/जिलों के उप संचालक कृषि को दी जावेगी।
 - समस्त घटकों पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार व्यय वर्ष की वर्ष की 31 जनवरी तक सुनिश्चित किया जावेगा।
 - आवंटन का जिले में पूरा व्यय नहीं होने की स्थिति में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को अन्य जिले को पुनः आवंटित करने हेतु संचालक कृषि अभियांत्रिकी स्वतंत्र होंगे।
 - उप संचालक कृषि नियमित रूप से कार्यक्रम का घटकवार प्रगति प्रतिवेदन एवं मासिक व्यय पत्रक संचालक कृषि अभियांत्रिकी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। साथ में घटकवार भुगतान हेतु लंबित राशि की जानकारी भी भेजेंगे।
12. समयबद्ध कार्यक्रम (कट आफ डेट्स) परिशिष्ट—“चार” में दर्शित है।

13. समय-समय पर उन्नत कृषि यंत्रों, पावर टिलर्स तथा ट्रेक्टरों की सूची में क्षेत्र की आवश्यकता तथा नवीन अनवेषणों के आधार पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी संशोधन कर सकेंगे।
14. इस कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत कृषि यंत्र/उपकरण के प्रचार-प्रसार व उपयोग बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों एवं उपकरणों को स्व-सहायता समूहों एवं वाटर शेड कमेटी के माध्यम से किराये पर प्रदाय करने का प्रावधान रखा गया है। इसके संबंध में मार्गदर्शी निर्देश विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एस.सी./एन.डब्लु/एन-2/98-99/1171 दिनांक 19.05.99 से जारी किए गये हैं। इस निर्देश के अनुसार जल ग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर 2000 हेक्टेयर उपचार योग्य क्षेत्र तक के जल ग्रहण क्षेत्र हेतु रुपये 50000/- तथा इससे ज्यादा उपचार योग्य क्षेत्रफल के जल ग्रहण क्षेत्र हेतु रुपये 75000/- तक के उपकरण कस्टम हायर हेतु बारानी चेतना केन्द्र में रखे जा सकेंगे। कस्टम हायर की इस व्यवस्था में पोस्ट हारवेस्ट उपकरणों जैसे राइस हलर /मिनी राइस मिल, दाल मिल तथा सीड ग्रेडर को प्रोत्साहित किया जाये।
15. कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उप संचालक कृषि एवं उनके अधिनस्थ अधिकारी कार्यक्रम में दिए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु समय पर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर
(ओ.पी.रावत.)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, कृषि विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल ।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, कृषि म.प्र. शासन, भोपाल ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल ।
5. अध्यक्ष, जिला पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश ।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल ।
8. संचालक कृषि, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
9. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, गौतम नगर, आफिस काम्पलेक्स, भोपाल ।
10. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म.प्र. भोपाल ।
11. संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश (समस्त) ।
12. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ।
13. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल ।
14. प्रबंध संचालक. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित , भोपाल ।
15. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, कृषि संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
16. संचालक विस्तार/अनुसंधान सेवार्ये, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर ।
17. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल ।
18. संपादक, पंचायिका , मध्यप्रदेश , माध्यम, भोपाल
19. अपर संचालक कृषि/संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक कृषि/सहायक संचालक कृषि (समस्त) संचालनालयीन ।

हस्ताक्षर
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलेक्स 'बी' ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक / के.जी. / 3 / 2006 / 552

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 2006

प्रति,

1. उप संचालक कृषि
.....(समस्त)

2. कृषि यंत्री, / कार्यपालन यंत्री
.....(समस्त)

3. सहायक कृषि यंत्री / मुख्य निर्देशक,
.....(समस्त)

विषय : मैक्रो मनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 2006-2007

संदर्भ : म.प्र. शासन कृषि विभाग का आदेश क्रमांक बी-3-30 / 2001 / 14-2 दिनांक 31.8.01

मैक्रो मनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित "कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन" कार्यक्रम के मार्गदर्शी निर्देश उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से आपकी ओर भेजे गये हैं एवं इसमें समय-समय पर हुये संशोधन / परिवर्तन से भी आपको अवगत कराया गया है।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार घटकों को सम्मिलित किया गया है-

- हस्तचलित, बैलचलित उन्नत कृषि यंत्र / हार्टीकल्चर टूल्स पर अनुदान।
- शक्तिचलित उन्नत कृषि यंत्र पर अनुदान।
- पावर टिलर क्रय पर अनुदान।

- 35 पी.टी.ओ. हासपावर तक के ट्रैक्टर क्रय पर अनुदान।
 - पोस्ट हार्वेस्ट उपकरण जैसे-मिनी राइस मिल, सीड ग्रेडर के क्रय पर अनुदान।
3. इन सभी घटकों को समेकित करते हुये वर्ष 2006-07 के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर जिलेवार एवं यंत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-4 के साथ संलग्न है।

इन घटकों पर सभी वर्ग के कृषकों को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी :

क्रमांक	कृषि यंत्र/उपकरण का नाम	अनुदान की दर	रिमार्क
1	ट्रैक्टर	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 30,000/- में से जो भी कम हो।	35 पी.टी.ओ. हास पावर तक के।
2.	पावर टिलर	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 30,000/- में से जो भी कम हो।	8 बी.एच.पी. तक एवं उससे अधिक।
3.	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर पैडी ट्रान्सप्लान्टर शक्तिचलित कृषि उपकरण	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 30,000/- में से जो भी कम हो।	
4	शक्ति चलित विशिष्ट कृषि उपकरण जैसे-जीरो टिलेज सीड ड्रिल,सीड ग्रेडर मोटर सहित, रोटोवेटर, शुगरकेन कटर प्लान्टर, पोटेटो डिगर/पोटेटो प्लान्टर, टैक्टर चलित फ्रंट माउण्टेड रीपर, स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, मेज शेल्स, इन्वलाइन्ड प्लेट प्लान्टर, टिलप्लान्टर	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 20,000/- में से जो भी कम हो।	
5.	हस्तचलित कृषि यंत्र/हॉर्टीकल्चर टुल्स	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 2,000/- में से जो भी कम हो।	
6.	बैल चलित कृषि यंत्र	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 2,000/- में से जो भी अधिकतम	
7.	ट्रैक्टर/पावर टिलर शक्ति चलित कृषि यंत्र	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- में से जो भी कम हो।	
8.	पावर थ्रेसर, (सभी प्रकार के)	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम	

- रु. 10,000 /— में से जो भी कम हो।
कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम
रु. 30,000 /— में से जो भी कम हो।
9. एरो ब्लास्ट स्प्रेयर
4. कृषि यंत्रों एवं पावर टिलर की अनुदान राशि जिले के उप संचालक कृषि को आबंटित की जावेगी। कृषि यंत्रों एवं पावर टिलर का वितरण वित्तीय प्रावधान की सीमा तक किया जावे। यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देश है कि लकड़ी के बने कृषि यंत्रों के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु लोहे के बने हुये उन्नत कृषि यंत्रों को प्रोत्साहित करने की कार्यवाही की जावे। अतः यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जावे। यंत्रों के साथ-साथ लोहे की बीम का प्रदाय अधिकाधिक किया जावे। योजनाओं में चयनित उन्नत कृषि यंत्रों की सूची, दर सहित ट्रैक्टर एवं पावर टिलर के अनुमोदित मॉडल की सूची त्वरित सन्दर्भ हेतु साथ में संलग्न है। इन पर ही अनुदान स्वीकृत किया जावेगा।
5. शक्तिचलित कृषि यंत्रों के लिये आपको दिये गये यंत्रों का ही वितरण किया जावे एवं उपलब्ध आबंटन अन्तर्गत इनकी संख्या में फेरबदल मान्य किया जा सकता है। यद्यपि यंत्रों के लक्ष्य का विभाजन जिले में यंत्रों की उपयोगिता एवं कृषकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है, फिरभी ऐसे यंत्र जिनका लक्ष्य आपके जिले को नहीं दिया गया है, परन्तु कृषकों में इनकी मांग हो तो तदनुसार उनका भी वितरण किया जा सकता है।
6. बैलचलित कृषि यंत्रों का प्रदाय म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के माध्यम से होगा। पावर टिलर्स एवं शक्तिचलित कृषि यंत्रों का प्रदाय म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एवं म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से होगा। योजना अन्तर्गत वितरित होने वाले ट्रैक्टरों का प्रदाय भी मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से होगा एवं इसके लिये अनुदान राशि निगम को पृथक से संचालनालय से प्रदाय की जावेगी।
7. जिन हितग्राहियों के पास ट्रैक्टर उपलब्ध हो, उन्ही हितग्राहियों को ट्रैक्टर चलित उपकरणों के लिये अनुदान स्वीकृत किया जावे। यह ध्यान रखा जावे कि

हितग्राहियों के पास उपलब्ध ट्रैक्टर के हार्स पावर के अनुरूप ही ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र/उपकरण का प्रदाय हो।

लक्ष्य का विभाजन विकासखण्डवार/यंत्रवार किया जाकर अधीनस्थों को लक्ष्य पूर्ति हेतु उत्तरदायी बनाया जावे। यंत्रों के निर्माण एवं भण्डारण हेतु पर्याप्त समय एग्री/विपणन संघ/कृषि अभियांत्रिकी को मिल सके, इसके लिये आवश्यक है कि यंत्रों की अग्रिम मांग एकत्रित कर संयुक्त हस्ताक्षर सहित इन संस्थाओं को 20 मई, 2006 तक उपलब्ध करा देवे। प्राप्त बजट आबंटन के अनुरूप ही, कृषि यंत्रों का वितरण एक बारहमासी कार्यक्रम समझकर इसकी पूर्ति के प्रयास किये जावें। योजना की प्रगति से प्रतिमाह संचालनालय को नियमित रूप से अवगत कराया जावे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर
संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र., भोपाल

क्रमांक/के.जी./3/2005/553

भोपाल, दिनांक अप्रैल, 2006

प्रतिलिपि—

1. सचिव, म.प्र. शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. पंजीयक एवं सहकारिता आयुक्त, विन्ध्याचलय भवन, भोपाल।
3. संचालक कृषि, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संचालक उद्यानिकी एवं प्रेक्षत्र वानिकी, म.प्र. भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम पंचानन भवन, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, मर्यादित भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, मर्यादित भोपाल।
8. आंचलिक प्रबंधक, कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ताक्षर,
संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आफिस काम्प्लैक्स बी ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/के.जी./05/2006-07/ट्रै.नि.की.बै./2185

भोपाल, दिनांक 30.10.06

प्रति,

प्रबंध संचालक,

.....

.....(समस्त ट्रैक्टर निर्माता कंपनी)

विषय:- दिनांक 25.09.2006 को ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समपन्न हुयी बैठक।

0000000

दिनांक 25.09.2006 को माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में किसानों को अनुदान पर दिये जाने वाले ट्रैक्टरों की कीमतों में कमी की जाने की संभावनाओं के संबंध में ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुयी।

बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार "कृषकों को कम दाम पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने हेतु ट्रैक्टर निर्माता कंपनियां उनके द्वारा उत्पादित ट्रैक्टर मॉडल की कीमत का प्रस्ताव संचालक, कृषि अभियांत्रिकी को उपलब्ध करावेंगे।

अतः आप संलग्न सूची अनुसार आपसे संबंधित ट्रैक्टरों की कीमत का प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करावें, इन्ही दरों पर कृषकों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाना होगा। कृपया प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध करावें।

संलग्न- सूची 2 पृष्ठ।

हस्ताक्षर
संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

REGISTERED

No. 13-10/99-My (I&P)
Government of India
Ministry of Agriculture
(Deptt. of Agriculture & Cooperation)

Krishi Bhavan, New Delhi - 110001

Dated: 25th September, 2006

To,

1. Secretary (Agriculture)
(All States/UT's)
2. Director (Agriculture)
(All States/UT's)
3. Managing Director
(All States Agro Industries Corporations)
4. Director (Agricultural Engineering)
(Government of Madhya Pradesh, Tamilnadu and West Bengal)

Subject: List of eligible tractors for subsidy under Farm Mechanization Programme through Centrally Sponsored Scheme 'Macro Management of Agriculture Supplementation/Complementation of State's Efforts through Work Plans'

Sir,

I am directed to refer this Department's letter of even number dated 12th December 2005 vide which the list of tractors delivering up-to 35 HP (Ps) at the rear Power Take Off (PTO) shaft and found eligible for subsidy under the Farm Mechanization Programme through Centrally Sponsored scheme 'Macro Management of Agriculture Supplementation/Complementation of State's Efforts through Work Plans' was circulated.

2. The above referred list has since been revised in suppression of all previous lists and the copy of the same is enclosed for necessary action, However, the distribution of tractor upto 35 PTO horsepower will be done in accordance with the guidelines issued by the Department earlier, subsidizing tractors up-to 30 PTO HP (Ps).

Encl : as Above

Yours faithfully
Sd/-
(A.N. MESHARAM)
Deputy Commissioner (Machinery)

**LIST OF ELIGIBLE TRACTORS DELIVERING UPTO 35 HORSE POWER (PS)
AT THE REAR POWER TAKE OFF (PTO) SHAFT FOR SUBSIDY**

Sl. No.	Tractor Make & Model	Max PTO Horse Power (Ps)	Budni Test Report No and Month of release.
1	2	3	4
1.	Eicher 241 NC	20.5	T-319/695, November 1995
2.	Eicher 242 NC	20.1	T-342/733, May 1997
3.	Eicher 312 NC	28.1	T-375/781, March 1999
4.	Eicher 368	34.0	T-395/809, February 2000
5.	Eicher 312	30.5	T-474/939, May 2003
6.	Eicher 242 Super Star	20.0	T-497/973, July 2004
7.	Swaraj 722 Super	18.5	T-398/818, Jan. 2000
8.	Swaraj 724 FE	22.1	T-413/840, March 2000
9.	Swaraj 733 FE (8+2 speed gear box)	29.2	T-427/871, December 2001
10.	Swaraj 735 FE (8+2)	33.7	T-416/843, May 2001
11.	Swaraj 939 FE	33.6	T-482/954, october 2003
12.	TAFE 30 DI	29.3	T- 281/633, May 1993
13.	MF 1035 DI	33.9	T- 315/690, 1995
14.	TAFE 25 DI	24.1	T- 329/713, July 1996
15.	MF 1035	29.4	T-343/735, June 1997
16.	TAFE 30 DI J (Two Cylinder)	26.5	T- 405/826, September 2000
17.	TAFE 30 DI J	28.3	T- 408/835, Jan 2001
18.	TAFE 1035 S	28.4	T- 409/836, Feb 2001
19.	TAFE 2750DI	23.8	T-490/966, March 2004
20.	TAFE 30 DI Heavy Duty	30.7	T-502/979, August 2004
21.	Escort 325 M (6+2)	22.6	T- 307/676, MArch 1995
22.	Escort 335 M DB (6+2)	29.5	T- 320/696, March 1995
23.	Escort 430 (6+2)	28.0	T-349/746, Jan 1996
24.	Escort 435 (8+2)	32.1	T- 353/751, 1998
25.	FARMTRAC 30 (HERO)	33.8	T- 472/937, April 2003
26.	HMT 3522	30.6	T- 296/660, 1994
27.	HMT 2522	21.9	T-340/729, February 1997
28.	HMT 2522 (OS)	21.2	T- 402/822, Aug 2000
29.	Mitsubishi Shakti MT 180 D	16.3	T-376/782, March 1999
30.	Tempo OX-25	24.7	T-421/849, June 2001
31.	Tempo Balwan 400	32.6	T-499/976, August 2004
32.	tempo Balwan 300	28.8	T-489/964, February 2004
33.	Mahindra 265 DI	31.0	T-299/663, 1994
34.	Mahindra B-275 DI	31.7	T-300/664, 1994
35.	Mahindra B-275 DI (High Torgue)	34.6	T-387/799, October 1999
36.	Mahindra Sactor	19.6	T- 480/952, September 2003
37.	Sonalika International 730 DI	24.7	T-493/823, August 2000

38	Sonalika International DI-740	32.2	T-412/839, March 2001
39	Sonalika International Di-35	32.0	T- 428/872, February 2002
40	Sonalika International Di 730 III	28.4	T-452/901, September 2002
41	Sonalika International DI 35 III	34.5	T- 481/953, October 2003
42	L&T John Deere 5103 (Collar Shift)	33.2	T-422/854, July 2001
43	Indofarm 2040 DI	33.3	T-429/873, February 2002
44	Indofarm 2030 DI	27.7	T-494/970, March 2004
45	Indofarm 2035 DI	32.0	T-493/969, March 2004
46	Captain DI 2600 (Min tractor)	Maximum Engine Power 8.8 (PTO Not Provided)	T-470/935, March 2003
47	Trishul MT-625 DI	8.7 engine power (PTO not provided)	T-470/935, March 2003
48	MG-312, MO-DI-5	25.5	T-475/940, May 2003
49	SAME 393	30.4	T-323/703, March 1996
50	New Holland 3030	33.7	T-448/896, August 2002
51	Standard 335	31.8	T-460/917, December 2002
52	Swaraj 824 FE	28.8	T-505/987, October 2004
53	HMT 3022	30.0	T-304/671, February 1995
54	Bajaj Tempo OX-25 (orchard Special)	23.8	T-516/1002, March 2005
55	Eicher 333	34.7	T-523/1009, May 2005
56	L&T John Deere 5103 Economy	32.5	T-522/1008, May 2005
57	SAME 36 DI Euro	32.4	T-529/1016, July 2005
58	Mahindra 235 DI Air Flow	20.67	T-525/1011, June 2005
59	Eicher 242x Trac	19.3	T-532/1019, October 2005
60	Field Marshal FM 625 DI	9.05 engine power (PTO not provided)	T-514/997, Jan 2005 & T-532/1028, Jan 2006 (Supplementary Test)
61	Escort Jawan (MPT)	23.02	T-521/1007, May 2005
62	Shaktiman MG-312	26.2	T-533/1020, Oct 2005
63	Powertrac 434	33.85	T-538/1025, Dec 2005
64	Powertrac 439	34.8	T- 541/1030, Jan 2006
65	Powertrac 434 XL	31.4	T-543/1032, Feb 2006
66	Standard 330	27.06	T-544/1033, March 2006
67	Powertrac 439XL	34.0	T-547/1038, May 2006
68	Angad 240 D	17.5	T-546/1037, April 2006
69	Mahindra 245 DI 2 PC	23.9	T-549/1040, June 2006
70	Mahindra 255 DI	21.9	T-390/802, Novembr 1999

Sd/-
(A.N. Meshram)
Deputy Commissioner (My)

Copy To-

1. Shri S.K. Patra
General Manager (Farm Sector)
National Bank of Agriculture & Rural Development (NABARD)
Plot No C-24, G Block, Bandra Kurla Complex,
Post Box No. 8121, Bandra (East), Mumbai- 400051
2. Under Secretary (AE I),
Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises,
Deptt. of Heavy Industry, Udhog Bhavan
NEW Delhi - 110011
3. President
Tractor Manufacturer's Association
4. Director
Farm Machinery Training & Testing Institute
Budni (MP), Hissar (Haryana), Garladinne (A.P.), Biswanath Chariali
(Assam)
5. Concerned Tractor Manufacturers
6. JS (P&P)

पावर टिलर, के अनुमोदत मेक की सूची

क्रमांक	पावर टिलर का मेक एवं माडल
1	KAMCO KMB 200
2	VST Shakti 130 DI
3	MITSUBISHI SHAKTI CT 85 with VWH-120 Engine
4	GREAVES GS 15L
5	SHRACHI SF 12
6	KHAZANA

1. दि. 03 जून 2005 को (2) मेक मॉडल के पावर टिलर अनुदान योजना में सम्मिलित किये गये।

(7) Tex Maco Dhanwan

(8) Ganga Sifang GN-121-15

2. दिनांक 22/11/05 को (2) मेक-मॉडल के पावर टिलर अनुदान योजना में और सम्मिलित किये गये। इस प्रकार अब 10 मेक मॉडल के पावर टिलर अनुदान योजना में सम्मिलित है।

(9) Greaves GS-15 DIL (भारत सरकार का पत्र दि. 6 जून 05)

(10) Souza Sifang GN 121-(15) (भारत सरकार का पत्र क्र. 3 अक्टुबर 05)

हस्ताक्षर
संचालक
कृषि अभियांत्रिकी

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आफिस काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल-23

00000000

क्रमांक/के.जी./8/2008/पार्ट-2/95

भोपाल, दिनांक 17.1.07

प्रति,

1. उप संचालक कृषि
.....(समस्त)
2. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री,
.....(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निर्देशक
.....(समस्त)

विषय:- कृषि यंत्रों की गुणवत्ता के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, कृषि मंत्रालय का पत्र क्रमांक/12-10/2005-माय. (ए.आई) दिनांक 11.7.2005

000000000

कृपया भारत सरकार कृषि मंत्रालय के उक्त संन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न का अवलोकन करें जिसमें निर्देश दिये गये हैं कि राशि रूपये 10,000/- से अधिक मूल्य के कृषि यंत्र भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्रमाणित संस्था से प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाणित यंत्र पर ही मैको मैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत "कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन" कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान देय हो।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करें कि राशि रूपये 10,000/- से अधिक का जो भी कृषि यंत्र अनुदान योजना पर दिया जावे, वह अधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण किया गया है अथवा नहीं।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर
संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

क्रमांक/के.जी./8/2008/पार्ट-2/96
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 17.01.07

प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर
संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र.भोपाल

No.12-10/2005-MY(AI)
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation

Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

Dated te 11th July, 2005.

To,

Principal Secretary/Secretary (Agriculture),
All States/UTs

Subject: Ensuring supply of quality agricultural equipment under Governmental Programmes.

Sir,

I am to invite your kind attention to the deliberations during the Zonal Kharif Confereneces-2005 and the State Work plan discussions under the Macro Management Scheme and to state that following decisions have been formally taken by the Government of India in connection with supply of agricultural equipment/implements under various Governmental programmes assisted by the Government of India.

- (i) It shall be ensured that only the equipment tested by the Central farm Machinery Training & Testing Institutes (CFMT&TIs) or any other organisation identified by the Central/State Governments are supplied under the Governmental programmes. The equipment costing more than Rs. 10,000/- shall either have BIS certification i.e. bear ISI wuality marking or have undergone testing at any of the FMT&TIs.
- (ii) A system of random pre/post despatch checks of agricultural equipment being promoted through Governmental programmes, shall be evolved by the State Government. If the situation warrants, randomly picked up equipment shall be re-tested by the nearest FMT&TI for ascertaining their specifications, performance and quality. Any other institution such as any

Contd-----page 2

Department of SAU, any Engineering College, KVK or any other research institute may be designated by the State Government to undertake such activity.

Yours faithfully
Sd/-
(Prem Narain)
Joint Secretary to the Government

Copy to Director of Agriculture/Director (Agril. Engg.)/Chief Engineer of the State for information and necessary action.

Sd/-
(Prem Narain)
Joint Secretary to the Government

GUIDELINES FOR DEMONSTRATION OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS UNDER CENTRAL SECTOR SCHEME "DEVELOPMENT OF PROTOTYPES OF INDUSTRIAL DESIGNS OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS INCLUDING HORTICULTURAL EQUIPMENTS AND THEIR TRIALS AT FARMERS FIELDS"

Demonstration of improved agricultural implements/machines specially the newly developed ones is one of the important instrument for disseminating technology for fast popularisation and adoption by the farmers. Under the scheme, the front Line Demonstrations would be taken up through ICAR and demonstration through the states Department of Agriculture. SAICs and the other such organisations.

2. OBJECTIVES: The objectives of the FLD/Demonstrations are:

- (i) Testings of efficacy, as well as, popularisation of the improved/newly developed agricultural equipment including horticultural equipment at the farmers' fields, under the actual field conditions.
- (ii) Performance and acceptability assessment of the agricultural equipment covered under the programme.

3. BASIC CONSIDERATIONS:

- (i) The demonstrations under the Scheme shall be organised under the ICAR system and by State Governments organisations.
- (ii) During the demonstrations, the farmers acceptability of the agricultural equipments shall be assessed.
- (iii) Each demonstration shall cover a minimum area of 0.40 ha or one hour as the case may be. The demonstration shall be organised in a project area concept. For hilly areas the minimum size of plot be 0.20 ha (0.50 acre).
- (iv) The selection of the demonstration site shall be decided in consultation with the Department of Agriculture and State Agricultural Universities of the concerned State. Moreover, the demonstration site should be easily

assessable to other farmers of the neighboring villages and extension workers coming from different parts of the district.

- (v) The owner of the demonstration site may be a progressive farmer and preferably approachable by other farmers and extension workers.
- (vi) The expenditure to be incurred on the purchase of improved/newly developed agricultural equipment/machines by each State Governments/Organisation shall be within the overall sanctioned amount by the Government of India as per the Store Purchase Rules of the respective Government/Organisation.
- (vii) The contingency expenditures towards the conduct of demonstrations under the scheme, would be assessed by the respective Government/Organisation and proposal submitted to Government of India for approval in the beginning of each year. The expenditure on demonstration would be met out of the approved funds. At the same time, strict economy measures would need to be taken towards incurring contingency expenditure. However the contingency expenditure per demonstration will not executed as under.
 - (i) Power operated/self propelled equipment: Rs. 3000/-
 - (ii) Bullock drawn equipment: Rs. 1500/-
 - (iii) Manually operated equipment: Rs.1000/-For hilly areas the cost per demonstration shall be 1.5 times the above cost per demonstration.
- (viii) The contingency expenditure for each demonstration may include all expenses like transportation of equipment, hiring of tractor, power source and any other miscellaneous expenditure incurred for carrying out the demonstrations.
- (ix) The type of agricultural equipment/technology to be demonstrated shall be as per the requirement of the State/Area and shall be decided by the implementing organisation in consultation with the State Agricultural functionary/State Agricultural universities.
- (x) Although, fresh proposals for conduct of demonstration, and the equipment needed for the same would be invited in the beginning of each year, the States, which have not been funded for the purpose, would be

given priority over the others. However, expenditure on account of contingency would be granted each year during the plan period.

- (xi) Some funds for conduct of demonstration will be kept exclusively for North-eastern States for popularisation of improved agricultural implements.
- (xii) With a view to extending benefits of the scheme to the maximum number of farmers and maximum number of States, the improved agricultural implements/machines, which are less expensive and important for particular States, would be covered under the Scheme.

4. IMPLEMENTATION:

- (i) All the demonstrations may be carried out under close supervision of the Technical Officer, Incharge of the demonstration and he shall record observations of all important events so that the same could form a feed back for the State, Central Government and the research organisation.
- (ii) The concerned technical officer shall keep records of various expenses incurred for the demonstration.
- (iii) When the demonstrations are completed, analysis shall be made to bring out cost analysis and benefits of improved technology over the previous/traditional technology.
- (iv) No expenditure will be met from the scheme on recruitment of staff, purchase of tractor, computer, video camera and any other such asset.
- (v) The scheme has been sanctioned for the Ninth plan period during which Government of India would continue to finance release the funds. However, in the event of discontinuance of the Central Sector Scheme during the Tenth plan period and in case of the need of the State for conducting such demonstrations further, the expenditure will be met by the respective State Governments.
- (vi) State Government will ensure to complete the targeted number of demonstrations fixed for the year.
- (vii) The expenditure towards repair and maintenance of implements/machines under the scheme shall be borne by the concerned State Government/Organisation and/or from the contingency amount.

- (viii) Procurement of implements/machines under the scheme will be made by the concerned State Government/Organisation as per its prevailing Financial/Store purchase Rules.
- (ix) The implements/machines procured under the scheme will be a part of inventory of the State Government/Organisation and necessary store purchase procedures/rules will be strictly followed in this regard.
- (x) The Annual Audited Statement of account together with the certificate of actual utilisation of the grants received by the State Government/Organisation shall be submitted to the Department of Agriculture & Cooperation within one month of the expiry of the financial year i.e. 30th April of the subsequent year.

5. SUPERVISION:

- (i) The results of the demonstration shall be properly documented reported, circulated to all the concerned in the State Department of Agriculture and in the Government of India.
- (ii) A Committee under the chairmanship of Director (Agriculture) of concerned State shall be constituted for close monitoring, supervision and analysis etc. of the demonstration, programme taken up.
- (iii) The organisation concerned would ensure effective implementation and supervision of the Scheme by the officers specially designated at the State and District level. The Officers from Farm Machinery Training and testing Institute at Budni (M.P.), Hissar (Haryana), Garlandinne (A.P.), Biswanath Chariali (Assam) and the officers from the Ministry of Agriculture shall be undertaking random visits to see the actual demonstration and assess the performance.
- (iv) The success story of demonstration of improved agricultural implements may be published in popular journals/periodicals for the benefits of other farmers in their State and for the farmers of the other States.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION
(Machinery Division)
Krishi Bhawan, New Delhi-110 001

Name of State/Organisation:

Deptt:

Date:

A. New Agricultural Equipment proposed for purchase & Demonstrations

B. (Rupees)

S.N.	Name of Equipment	No proposed to be procured During 2006-07	Rate
1.			
2.			
3.			Total Cost.....

B. Contingency Expenditure

S.No.	Name of Equipment Contingency*	No. of Demonstrations for each equipment to be conducted during	2006-07	2007-08	expenditure for 2006-
(a)	Equipment already purchased 07 2006-07 Out of previous releases				
1.					
2.					
3.					
(b)	New equipment as listed at 'A' Above				
1.					
2.					
3.					
(c)	Exp.....				Total

C. **Total budget required (Cost of Equipment+Contingency)**

during the year 2006-07 & for 2007-08	Grand	Total
(A+B).....		

D. Justification for selecting the equipment for demonstration.

E. Districts, in which the demonstrations are proposed to be conducted.

(Signature)

Note

(i) *The detailed break up of contingency expenditure for each equipment may be worked out as per guide lines and given on separate sheet.

(ii) Physical & financial progress as well as Utilisation Certificate with regard to the funds released, if any, under the scheme during 2004-05 & 2005-06 may kindly be appended in the enclosed proforma.

Proforma for quarterly physical and financial progress of the scheme 'Demonstration of Newly Developed Agricultural Equipments Including Horticultural Equipments at Farmers Field.'

Return for the period 2004-05 & 2005-06 (for each year on a separate sheet)

1. Name of the State:
2. Budget allocation for the year:
3. Amount released:
4. Amount utilized:
5. Details of demonstration conducted:

Sl.No.	Name of Equipment	No. of Demonstration	Area Covered (ha)	Places of demonstration	No. of farmers Participated
1					
2					
3					
4					

6. Assessment of the State/Organisation on impact of the Scheme in terms of sequential benefits accrued to the farmers and the number of equipment adopted by them:

Singature.....

Name.....

Designation.....

Address.....

Telephone No.....

FORM GER 19-A

(See Government of India's Decision (i)below Rule 150)

From of Utilisation Certificate

Sl. No.	Letter No. and Date	Amount	
			Certified that out of Rs.....of grants -in-aid sanctioned during the year.....in favour ofunder this Ministry/Department letter No. given in the margin and Rs.....on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs.....has been utilised for the purpose ofFor which it was sanctioned and that the balance of Rs.....remaining unutilised at the end of the year has been surrendered to Government (Vide No.....dated.....)/will be adjusted towards the grant in aid payable during the next year.....
	Total		

2. Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following the following checks to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Signature

.....

Designation.....Date.....

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दि. 14 फरवरी, 2006

क्रमांक डी-7/22/97/14-3 : मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम 1972 (क्रमांक 9 सन् 1973) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) नियम, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"7 ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारी का मापमान - ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारी का मापमान निम्नानुसार होगा।

(क) डाजिंग या सम्बद्ध कार्य , जो विभिन्न अश्वशक्ति के उन ट्रैक्टरों द्वारा जो कि बुलडोजिंग अटेचमेन्ट से युक्त हो किया जाना हो :-

80 अश्वशक्ति तथा उससे हनोमेग के -7 रु.650/- प्रतिघंटा

अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर

भारत डी-50 रु. 800/- प्रतिघंटा

कैट डी-6 रु. 800/- प्रतिघंटा

(ख) जुताई कार्य जो प्लाइग अटेचमेंट से युक्त ट्रैक्टरों द्वारा किया जाना हों :-

1. खेती की गई भूमि के लिए रु 2250/-प्रति हैक्टर

या रु. 900 /-प्रति एकड़

2. पडत भूमि के लिए उपरोक्तानुसार

(ग) परिवहन कार्य को छोड़कर समस्त कृषि कार्य , जो विभिन्न अश्वशक्ति के व्हील टाइप ट्रैक्टरों द्वारा किया जाना हो :-

1. 40 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर रु. 180/- प्रति घंटा

2. 41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर रु. 260/- प्रति घंटा

(घ) डोजिंग या सम्बद्ध कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के उन ट्रैक्टरों द्वारा जो कि बुलडोजिंग अटैचमेंट से युक्त हो कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाना हों -:

80 अश्वशक्ति तथा उससे हनोमेग के -7 रु. 800/-प्रतिघटा
अधिक अश्वशक्ति के
ट्रैक्टर

भारत डी-50 रु. 900/-प्रतिघटा
कैट डी-6 रु. 900/- प्रतिघटा

(ड.) परिवहन कार्य :-

40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाइप ट्रैक्टर रु .4/-प्रति किलोमीटर

41 अश्वशक्ति या उससे अधिक रु 5/- प्रति किलोमीटर
अश्वशक्ति के व्हील टाइप ट्रैक्टर

2. यह संशोधन 1.4.2006 से प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर
(डॉ एम.बी.एस. भदोरिया)
उप सचिव
म.प्र. शासन . कृषि विभाग

क्रमांक डी-7/22/97/14.3

भोपाल दिनांक 14 फरवरी 2006

भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.02 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हस्ताक्षर
उप सचिव
म.प्र.शासन , कृषि किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन

कृषि विभाग

मंत्रालय

विषय :- नलकूपों की यील्ड टेस्टिंग के संबंध में दिनांक 6.12.06 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 6.12.06 को सचिव कृषि की अध्यक्षता में नलकूपों की यील्ड टेस्टिंग की व्यवस्था संबंध में बैठक आयोजित की गई। संचालक कृषि, संचालक कृषि अभियांत्रिकी के प्रतिनिधि एवं प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुये। वर्तमान व्यवस्था में अनुभव की जा रही कठिनाइयों व कृषको को हो रही असुविधा को देखते हुये वेकल्पिक व्यवस्थ पर चर्चा हुई।

बैठक में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि -

1. यील्ड टेस्ट नलकूप खनन के पूर्ण होने पर ही किया जायेगा।
2. कृषकों द्वारा नलकूप खनन करने के उपरान्त कृषक द्वारा लगाये गये पम्प से यील्ड टेस्ट का कार्य अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम अथवा कृषि अभियांत्रिकी के उपस्थिति में कराया जायेगा।
3. इनके प्रतिवेदन एव अनुशंसा के आधार पर उप संचालक कृषि द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
4. प्रत्येक विकास खंड में संचालक कृषि द्वारा इस हेतु ट.छब्बबी उपलब्ध कराये जायेंगे।

हस्ताक्षर

(एस. के उपाध्याय)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग

भोपाल दिनांक 12.12.06

प्रतिलिपि :-

1. संचालक कृषि / कृषि अभियांत्रिक म.प्र. भोपाल।
2. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम।

हस्ताक्षर

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग

मध्यप्रदेश शासन,

कृषि विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/डी/17/9/94/14-3

भोपाल : दिनांक 31 दिसम्बर 2001

प्रति,

संचालक कृषि

मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- कृषकों द्वारा खोदे गये नलकूपों पर अनुदान की योजना

000000000

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के आदेश क्रमांक/डी-17/2/85/14-3 दिनांक 9.4.92 द्वारा कृषि विभाग के अन्तर्गत अशासकीय ऐजेन्सी/ठेकेदारों द्वारा खोदे गये नलकूप पर अनुदान की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देशों को निरस्त करते हुये निम्नानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

1. सिंचाई नलकूप खनन पर अनुदान योजना का क्रियान्वयन अब केवल कृषि विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना के अन्तर्गत देय अनुदान केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को निम्न दरों पर देय होगा :-
 - (अ) नलकूप खनन, विकास तथा निर्माण के लिये। लागत का 75: अथवा रूपये 15,000/- में जो भी कम हो।
 - (ब) सबमर्सिबल पंप एवं सहायक सामग्री के लिये। कीमत का 75: या रूपये 10,000/- में जो भी कम हो।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्ग के उन्ही कृषकों या उनके समूह को अनुदान देय होगा, जिन्होंने पूर्व में नलकूप नहीं खोदा है।
3. अनुदान की पात्रता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों या उनके समूह को होगी जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंकों से ऋण लिया हो या स्वयं के व्यय से नलकूप खनन किया हो। अनुदान नगद में न दिया जाकर कृषकों के बैंक खातों में ही जमा किया जावेगा।
4. इस आदेश के तहत अनुदान का लाभ उन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को देय होगा। जो प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर उप संचालक कृषि के यहां पंजीयन करवाकर योजना का लाभ लेना चाहेंगे। इसके लिये कृषकों को पंजीयन पत्र प्रदाय किया जायेगा।
5. नलकूप का स्थल चयन, संभावित जल उपलब्धता एवं संभावित गहराई सम्बन्धी जांच हेतु नलकूप खनन के पूर्व "रेजिस्ट्रीविटी सर्वे" करना आवश्यक होगा। रेजिस्ट्रीविटी

सर्वे जल संसाधन विभाग में पंजीकृत निजी संस्थाओं से कृषक द्वारा स्वयं कराया जावेगा। रेजिस्ट्रीविटी सर्वे की रिपोर्ट सम्बन्धित उप संचालक कृषि के पास जमा कराई जावेगी। रेजिस्ट्रीविटी सर्वे में यदि यह पाया जाता है कि स्थल पर जल की उपलब्धता नहीं है तो सम्बन्धित कृषक का पंजीयन उप संचालक कृषि द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा।

6. नलकूप की सफलता एवं नलकूप में जल उपलब्धता की मात्रा उसकी गोलाई एवं गहराई का पंचनामा एक समिति द्वारा किया जावेगा जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

- (अ) अनुविभागीय अधिकारी कृषि या उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
- (ब) सहायक कृषि यंत्री या उनके द्वारा मनोनीत यांत्रिक सहायक अथवा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के शाखा प्रबंधक
- (स) कृषक हितग्राही
- (द) ग्राम पंचायत का सरपंच

समिति के सदस्यों की उपस्थिति में स्थल पर जांच पश्चात् पंचनामा बनाया जावेगा। समिति के सदस्यों को स्थल पर ले जाना एवं उनकी उपस्थिति में यील्ड टेस्टिंग कराने का उत्तरदायित्व अनुविभागीय अधिकारी कृषि का होगा।

7. नलकूप की जल क्षमता का परीक्षण (यील्ड टेस्टिंग) कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय/म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पास उपलब्ध मशीनो से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर हितग्राहियों से अग्रिम प्राप्त कर किया जावेगा। यील्ड टेस्टिंग अग्रिम जमा होने के एक माह के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा।

8. यील्ड टेस्टिंग का कार्य 340 सी.एफ.एम. की क्षमता की मशीन से 4 घंटा एवं इससे कम क्षमता की मशीन से 6 घंटा तक किया जावेगा। यील्ड टेस्टिंग में स्टेटिक वाटर लेबल, ड्रा डाऊन एवं एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी आवश्यक रूप से देखी जावेगी। यील्ड टेस्टिंग के प्रमाण पत्र पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त कर संबंधित संस्था, जिसके द्वारा यील्ड टेस्टिंग हेतु मशीन भेजी गयी है, के द्वारा उप संचालक कृषि को भेजे जावेंगे एवं इसकी प्रति कार्यालय में संधारित होगी।

9. एक नलकूप से दूसरे के बीच की न्यूनतम दूरी एल्युवियम क्षेत्र में 450 मीटर एवं चट्टानी क्षेत्र में 300 मीटर रहेगी।

10. नलकूप की न्यूनतम गहराई एल्युमिनियम क्षेत्र में 45 मीटर एवं चट्टानी क्षेत्र में 60 मीटर होगी।

11. एल्युमिनियम क्षेत्र में 4000 गैलन प्रतिघंटा एवं चट्टानी क्षेत्र में 2000 गैलन प्रतिघंटा न्यूनतम डिस्चार्ज होने पर नलकूप सफल माना जावेगा।

12. असफल नलकूप के लिये यील्ड टेस्टिंग आवयक नहीं होगा। विभाग के द्वारा नलकूप खनन की अनुमति दिये जाने के पश्चात् कृषक द्वारा नलकूप खनन घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

- I कृषक के द्वारा नलकूप खनन कर लेने के पश्चात् असफल घोषित करने के लिये आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी कृषि को संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि बोर में पर्याप्त पानी नहीं है एवं कृषक इसे असफल मान्य करता है।

- II वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 7 दिनों के भीतर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथ्यों का परीक्षण कर आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी कृषि को प्रस्तुत करेंगे।
- III अनुविभागीय अधिकारी कृषि, यील्ड टेस्टिंग के लिये गठित समिति के सदस्यों के साथ आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर कृषक को पूर्व सूचना देकर स्थल का निरीक्षण करेंगे। समिति के सदस्य निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्यों की जांच कर उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे :-
 (अ) खोदे गये नलकूप की दूसरे नलकूपों से दूरी।
 (ब) नलकूप की गोलाई।
 (स) नलकूप की गहराई।
 (द) गोलाई, गहराई एवं केंसिंग पाईप के आधार पर खोदे गये नलकूप की अनुमानित लागत।
- IV. समिति द्वारा यह संतुष्टि की जाना आवश्यक होगी कि नलकूप पर्याप्त गहराई तक खोदा गया है व उसके बावजूद उसमें पर्याप्त पानी नहीं निकला है।
- V. यदि दूसरे नलकूप से मापदण्ड से कम दूरी पाई जावे तो प्रकरण निरस्त कर दिया जावेगा।
- VI. यदि समिति संतुष्ट होती है कि नलकूप निर्धारित मापदण्ड के अनुसार खोदा गया है तथा उसमें पर्याप्त पानी नहीं निकला है तो उसको असफल घोषित कर प्रकरण उप संचालक कृषि को अनुदान प्रदाय करने के लिए प्रस्तुत किया जावेगा।
- VII. असफल नलकूप पर उसकी वास्तविकता लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15,000/- का अनुदान देय होगा।
- VIII. इस प्रकार के नलकूपों के प्रकरण निपटाने की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी कृषि की होगी जो समिति के अन्य सदस्यों को एकत्रित कर स्थल निरीक्षण करावायेंगे तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ण करवाकर प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु उप संचालक कृषि को भेजेंगे।
- IX असफल नलकूप के अन्तर्गत यील्ड टेस्टिंग किया जाना आवश्यक नहीं है अतः नलकूप परीक्षण हेतु कृषक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- X नलकूप को असफल घोषित करने बाबत समिति द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी संलग्न है।
- XI जो कृषक नलकूप का यील्ड टेस्टिंग कराना चाहते हैं उनसे नियमानुसार अग्रिम राशि जमा कराई जाकर कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय/कृषि उद्योग विकास निगम की मशीनों से यील्ड टेस्टिंग कराया जावेगा।
13. विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर नलकूप चालू करने की जिम्मेदारी कृषक की होगी। जल उपलब्धता संबंधी समिति द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र विद्युत कनेक्शन हेतु मान्य किया जावेगा।
14. कृषकों द्वारा अपनी पसंद का आई.एस.आई.मार्क वाला पंप, कृषि उद्योग विकास निगम अथवा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ अथवा निजी विक्रेताओं से क्रय किया जा सकेगा।

15. कृषक अपनी इच्छानुसार किसी भी संस्था अथवा ठेकेदारों से नलकूप खनन करा सकेंगे अर्थात् उप संचालक कृषि द्वारा किसी भी ठेकेदारों को नलकूप खनन हेतु आदेश देने की आवश्यकता नहीं, यह कार्य कृषक को स्वयं कराना होगा।
16. नलकूप खनन की दरों का निर्धारण उप संचालक कृषि के प्रस्ताव पर जिला योजना समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में किया जावेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर
(एस.एन.शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

प्रतिलिपि

1. सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग भोपाल ।
 2. सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण, विभाग भोपाल ।
 3. सचिव,म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
 4. सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।
 5. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. ।
 6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
 7. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र. भोपाल ।
 8. समस्त आंचलिक प्रबंधक, कृषि जलवायु क्षेत्र परियोजना, मध्यप्रदेश ।
 9. समत उप संचालक कृषि, मध्यप्रदेश ।
 10. उप प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम भोपाल ।
 11. प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी बैंक, भोपाल ।
 12. प्रबंध संचालक, भूमि विकास बैंक भोपाल ।
 13. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल ।
 14. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ताक्षर
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

नलकूप असफल घोषित करने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप

1. कृषक का नाम :
2. ग्राम :
3. विकासखंड :
4. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :
5. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :
6. नलकूप खनन का दिनांक :
7. नलकूप की गोलाई :
8. नलकूप की गहराई :
9. केसिंग पाईप की लंबाई :
10. अन्य नलकूपों से दूरी :

नलकूप की असफलता के संबंध में समिति का अभिमत:-

कृषक द्वारा दिये गये घोषणा पत्र के अनुसार नलकूप का निरीक्षण किया गया एवं समिति उक्त नलकूप को असफल प्रमाणित करती है।

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
कृषक	हायक कृषि यंत्री	अनुविभागीय अधिकारी कृषि	सरपंच
दिनांक	/ शाखा प्रबंधक	दिनांक	ग्राम पंचायत
	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग		दिनांक
	विकास निगम		
	/ यांत्रिक सहायक		
	दिनांक		

जल क्षमता प्रशिक्षण (यील्ड टैस्टिंग)

1. यील्ड टेस्ट रिपोर्ट नम्बर :
2. यील्ड टेस्टिंग का प्रकार :
3. कृषका का नाम एवं ग्राम :
4. विकास खण्ड एवं जिला :
6. गहराई :
7. दूसरे नलकुप से दूरी :

दिनांक	मशीन के कूल कार्य घंटे	स्टेटिक वाटर लेबल	ड्रा डाऊन	पानी की मात्रा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

हस्ता.
कृषक
दिनांक

हस्ता.
सहायक कृषि यंत्री
/ शाखा प्रबंधक
म.प्र.राज्य कृषि उद्योग
विकास निगम
/ यांत्रिक सहायक
दिनांक

हस्ता.
अनुविभागीय अधिकारी कृषि
दिनांक

हस्ता.
सरपंच
ग्राम पंचायत
दिनांक

हस्ता.
मशीन चालक
दिनांक

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय

क्रमांक डी-17-14/95/14-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 29 नवम्बर, 2006

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला माइक्रो इरीगेशन कमेटी,
जिला-
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
जिला
3. उपसंचालक कृषि,
सदस्य सचिव,
जिला माइक्रो इरीगेशन कमेटी,
जिला-

विषय:- विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्प्रिंकलर, ड्रिप, सिंचाई पम्पों, कृषि उपकरणों तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान व्यवस्था में परिवर्तन करने बाबत।

- संदर्भ:
1. इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक-बी-1-5/93/14-2, दिनांक 26.04.1999
 2. इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक-बी-8/15/2001/14-2, दि. 10.10.2001
 3. इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक-डी-17-14/95/14-3 दि. 06 मार्च, 2002

विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्र/सामग्री वितरण हेतु विभागीय ज्ञाप (1) क्रमांक-बी-1-5/93/14-2, दिनांक 26 अप्रैल, 1999 तथा विभागीय ज्ञाप (2) क्रमांक-बी-8/15/2001/14-2, दिनांक 10.10.2001 हितग्राही चयन, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन लक्ष्यों का निर्धारण एवं तकनीकी सावधानियों के संबंध में जारी निर्देश यथावत रहेंगे।

2. उपरोक्त ज्ञाप क्रमांक-1 की कंडिका क्रमांक-8.3.2, 8.4.2 एवं ज्ञाप क्रमांक-2 की कंडिका क्रमांक-8.5.1, 8.5.2, 8.6.3, 8.7.2 में दिये गये मार्गदर्शी निर्देशों को एतद् द्वारा निरस्त कर निम्नानुसार प्रक्रिया अंतर्स्थापित की जाती है:-
योजना के अंतर्गत हितग्राही का चयन एवं अनुदान भुगतान व्यवस्था-
1. कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजना के तहत जिलावार लक्ष्य संचालनालय स्तर से जिलों को भेजा जायेगा। जिला स्तर पर यह लक्ष्य विकासखण्डवार जिला पंचायत द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभाजित किया जावेगा।
2. जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की जानकारी कृषि द्वारा सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व विभागीय अमले को दी जायेगी।
3. कृषि विभाग के क्षेत्रीय अमले द्वारा विकास खंड स्तर पर विभिन्न वर्गों के हितग्राहियों की सूची लक्ष्य की तुलना में डेढ गुना की संख्या में तैयार की जायेगी। इस सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा। अनुमोदित सूची उपसंचालक कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा। अनुमोदित सूची उपसंचालक कृषि को भेजी जायेगी।
4. जिला स्तर पर पूर्व से गठित पाइको इरीगेशन समिति में विकासखंड से प्राप्त सूची की अंतिम अनुमोदन होगा एवं हितग्राहियों को इसकी लिखित सूचना दी जायेगी। यह सूची जनपद पंचायत को दी जायेगी।

5. सूचना हितग्राही जिलों में पूर्व से सूचीबद्ध किये गये अधिकृत कम्पनी डीलर से अपनी इच्छानुसार स्प्रीकलर, ड्रिप सिंचाई पम्प, कृषि उपकरणों तथा अन्य कृषि यंत्रों का स्वयं पूर्ण भुगतान करने पर क्रय कर सकेंगे।
6. हितग्राही द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत इनका स्वयं क्रय किया जायेगा। क्रय कर्ताओं द्वारा बाजार में प्रचलित दर पर क्रय किया जायेगा। इनकी दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं रहेगी।
7. हितग्राही द्वारा भुगतान किये पक्के बिल की मूल प्रति तथा क्रय प्रमाण पत्र विकासखंड स्तर पर कृषि विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा। कृषि विभाग का विकासखंड स्तरीय अमला सिस्टम की स्थापना व चालू होने का भौतिक सत्यापन करेगा एवं अनुदान राशि हितग्राही को देने की अनुशंसा उपसंचालक कृषि का करेगा। बिना भौतिक सत्यापन के अनुदान की अनुशंसा नहीं की जायेगी।
8. जिला स्तर पर उपसंचालक द्वारा विकासखंड स्तर से प्राप्त अनुदान अनुशंसा सूची अनुसार अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर हितग्राही के नाम चेक द्वारा अनुदान हितग्राही के पक्ष में जारी किया जायेगा। यदि किसी विशेष कारण से यह अनुदान 30 कार्यदिवस के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो उपसंचालक हितग्राही को भुगतान करते समय विलम्ब के कारणों को लिखित रूप से उसे सूचित करेगा।
9. हितग्राहियों द्वारा क्रय की गई सामग्रियों में से 10 प्रतिशत सामग्री का रेन्डम आधार पर सत्यापन उपसंचालक कृषि के द्वारा तथा 25 प्रतिशत सत्यापन अनुविभागीय कृषि अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
10. जिले के अंतर्गत कम्पनियों का पंजीयन एवं उनके अधिकृत डीलर की जानकारी तथा मानक का निर्धारण आदि जिला स्तर पर उपसंचालक कृषि के द्वारा किया जावेगा।
3. वर्तमान निर्देशों के अंतर्गत केवल अनुदान भुगतान करने की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। कृषि यंत्रों की गुणवत्ता का निर्धारण, मुल्यांकन एवं निरीक्षण आदि के संबंध में जारी पूर्ववर्ती व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

हस्ताक्षर
(प्रवेश शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

पृ. क्रमांक-डी-17-14/95/14-3

भोपाल दिनांक नवम्बर 2006

प्रतिलिपि:-

1. संचालक कृषि/कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मार्कफेड, भोपाल

हस्ताक्षर
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग